राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमाकः एफ 10(2)ग्रावि/नरेगा/संस्था/SECURE Soft/2015 जयपुर, दिनांक :30.05.2019

3 JUN 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत SECURE Soft की समीक्षा एवं कियान्विति में आ रही बाधाओं के निराकरण हेत इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दिनांक 24.05.2019 को आयोजित अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, एमआईएस एवं जेटीए की एक दिवसीय बैठक/कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा अनुसार निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गयाः–

1. एलएमआर/बीएसआर अपलोड किये जाने की स्थिति – SECURE Soft पर जिले द्वारा District Admin Login के माध्यम से एलएमआर अपलोड की जानी है। परंतु अधिकांश जिलों द्वारा समस्त पंचायत समिति की एलएमआर अपलोड नहीं की गई है। SECURE Soft पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार जिला जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बूंदी, जालौर, नागौर, बाड़मेर एवं सवाईमाधोपुर की प्रगति शून्य है। अतः समस्त जिलों द्वारा अविलम्ब एलएमआर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. SECURE Soft पर एस्टीमेट कीयेटर द्वारा लॉगिन करने पर नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध समस्त कार्य SECURE Soft पर एस्टीमेट क्रियेशन एवं स्वीकृति हेतु सिफ्ट हो जाते है। परंतु जिलों के नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध प्रस्तावित कार्य की तुलना में नरेगा सॉफ्ट पर बहुत कम कार्य प्रदर्शित हो रहे है। चूरू जिले में किसी भी एस्टीमेट क्रियेटर द्वारा लॉगिन नहीं होने के कारण प्रगति शून्य प्रदर्शित हो रही है। अतः समस्त एस्टीमेट क्रियेटर द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर लॉगिन किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. इसी तरह SECURE Soft पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार अधिकांश जिलों की एस्टीमेट कियेशन, तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन की प्रगति ही शून्य है। अतः पंचायत समिति पर स्वीकृति कार्यो की उपलब्धता हेतु SECURE Soft सॉफ्ट का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. SECURE Soft के कियान्वयन के संबंध में जिलों द्वारा उठाई गई समस्त समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। अतः मेट की मजदूरी दर एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में लागू अकुशल श्रमिक दर तथा 63–40mm ग्रिट (Crusher Broken) की वर्तमान में अनुमोदित दर फीड़ करते हुए एलएमआर अपलोड करावें तथा कार्यो की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें। यह कार्यवाही जिला स्तर से सावधानीपूर्वक ब्लॉक वाईज भरी जा रही दरों के सही होने की सुनिश्चितता करते हुए की जावे।
5. SECURE Soft पर एस्टीमेट क्रियेटर द्वारा एस्टीमेट अपलोड करने/तकनीकी स्वीकृति के पश्चात वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही हेतु जिले को प्रेषित किये जाने के उपरांत यदि दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो जिला एडमिन लॉगिन से Revert किये जाने का ऑपशन है। इस ऑपशन का अनावश्यक उपयोग नहीं किया जावे, इस एस्टीमेट क्रियेटर द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जावे तथा पूर्ण प्रस्ताव मय तकनीकी रिपोर्ट के ही पीओ लॉगिन से डीपीसी लॉगिन को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु Forward किये जावे।
6. वित्तीय स्वीकृति हेतु पंचायत समिति स्तर से कोई भी दस्तावेज हार्ड कॉपी में प्रेषित नहीं किये जावे। समस्त दस्तावेजों का जिला स्तर से प्रिंट निकाला जाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।

Scanned by CamScanner

7. बैठक में एमआईएस मैनेजर्स द्वारा अवगत कराया गया कि एसबीआई बैंक द्वारा एफटीओ ट्रेकिंग हेतु विकसित पोर्टल वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। इस हेतु बैंक को ई–मेल के द्वारा सूचित कर दिया गया है। बैंक से समन्वय हेतु राज्य स्तर से कार्यवाही की जावे।
8. नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध रिपोर्ट R6.23 में राज्य में रेलवे से संबंधित 781 कार्य प्रदर्शित हो रहे है। जो कि वास्तविक रिपोर्ट के अनुसार गलत है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया गया कि पीओ लॉगिन से कार्यो को एडिट किया जाकर सही कार्य की केटैगिरी का चयन किया जावे। वित्तीय वर्ष 2019–20 के Works Module में अन्य त्रूटियॉ भी जिला स्तर से इन्हें सही कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। इस हेतु जिला एमआईएस मैनेजरर्स उत्तरदायी होंगे।
9. योजनान्तर्गत समयबद्व भुगतान हेतु T+8 दिवस में एफटीओ को द्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं इसकी मॉनिटरिंग हेतु नरेगा सॉफ्ट के स्टेट पेज पर उपलब्ध रिपोर्ट "मस्टररोल ट्रेकिंग" के बारे में अवगत कराया गया।
10. समयबद्व भुगतान हेतु राज्य स्तर से दिनांक 17.05.2019 को जारी आदेश में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक पर लेखा कार्मिक को समयबद्व भुगतान की मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित किया गया है।
11. योजनान्तर्गत आधार सीडिग, एबीपीएस, संयुक्त खातों को व्यक्तिगत खातों में बदलने, रिजेक्टेड ट्राज़ेक्शन को दोबारा अपडेट कर रिप्रोसेस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
12. योजनान्तर्गत मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम (एमएमएस) लागू करने हेतु प्रस्तुतीकरण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं पायलेट आधार पर एमएमएस हेतु प्रत्येक ज़िले से दो ग्राम पंचायतों के नाम भिजवाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
13. पीओ (एलडी) के माध्यम से नरेगा सॉफ्ट से मस्टररोल जारीं करना एवं भुगतान की कार्यवाही के संबधं में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस कम में प्रत्येक जिले पर लाईन विभाग से संबंधित अधिकारियों के विवरण को नरेगा सॉफ्ट पर फीज किया जाना सुनिश्चित करावें।

परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय)/वित्तीय सलाहकार, ईजीएस/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता (ए), ईजीएस/परियोजना अधिकारी, ईजीएस/उपनिदेशक(योजना), ईजीएस/सहायक अभियन्ता (एन/एस), ईजीएस।
4 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
5 अधिशाषी अभियंता महात्मा गांधी नरेगा, समस्त राजस्थान।
6 संबंधित एमआईएस मैनेजर को nrega.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

Scanned by CamScanner